

प्रशासकीय कार्यालय, जनपद न्यायालय, अयोध्या।

सूचना

महिला कार्यस्थल यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को प्रत्येक महिला के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित, संरक्षित और सक्षम वातावरण प्रदान करने हेतु एक व्यापक कानून के रूप में लागू किया गया है।

उपरोक्त अधिनियम के तहत इस अधिष्ठान में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु **आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee-ICC)** का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर किसी पीड़ित महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करना, उसकी जांच करना और अपनी जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियोक्ता को उचित कार्रवाई की सिफारिश करना है।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार जनपद न्यायालय अयोध्या में उपरोक्त शिकायतों हेतु नजारत अनुभाग के सामने शिकायत पेटिका (Complaint Box) स्थापित की गई है, जिन भी महिला कर्मचारियों को महिला कार्यस्थल यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित कोई शिकायत हो, उसे उक्त पेटिका में प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त पेटिका माह के प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय शनिवार को खोली जाएगी एवं प्राप्त शिकायत माह के अन्तिम शुक्रवार को आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

आज्ञा से,
जनपद न्यायाधीश,
अयोध्या।